अध्याय 5

निष्कर्ष

अध्याय 5 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या वैज्ञानिक खनिज अन्वेषण और खनिज संसाधनों के आकलन की सुविधा के लिए उपयुक्त प्रणाली अपनाई जा रही थी; लागू प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टे/अनुज्ञप्ति स्वीकृत, नवीकृत, समर्पित या निरस्त किए गए थे; राज्य में खानों और खनिजों का प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था इत्यादि। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए छह जिला खनन कार्यालयों के अतिरिक्त झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) को विस्तृत जाँच के लिए चुना गया था।

लेखापरीक्षा के समापन के बाद, 22 जुलाई 2024 को सचिव, खान और भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ एक बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सरकार के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा अवलोकनों पर चर्चा की गई। विभाग ने सूचित किया कि अवलोकनों/सुझावों से संबंधित डेटा का सत्यापन किया जा रहा है और विस्तृत उत्तर जाँच के बाद प्रस्तुत किए जाएंगे। हालांकि, कई स्मारपत्रों के बावजूद कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2025)।

विभाग ने लघु अंतराल अवधि (मार्च 2017, फरवरी 2018, मार्च 2019 और सितंबर 2020) में खनन पट्टों के प्रदान/नवीकरण/विस्तार के प्रावधानों में बार-बार संशोधन किया, जिससे संशोधित प्रावधानों की व्याख्या में अस्पष्टता पैदा हुई। विभाग यह सुनिश्चित करने हेतु कोई नियन्त्रण और संतुलन प्रणाली स्थापित नहीं कर सका जिससे उपायुक्त उनकी योग्यता से परे पट्टे प्रदान न कर सकें। विभाग के पास नए पट्टों की स्वीकृति के दौरान चूककर्ताओं की पहचान करने और भूमि उपयोग की प्रकृति का पता लगाने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी, परिणामस्वरूप वन भूमि पर खनन पट्टे प्रदान किए गए थे। परिणामस्वरूप, ये मामले अंततः राज्य में खनन पट्टों के अनियमित स्वीकृति/नवीकरण/विस्तार का कारण बने।

नीलामी की प्रगति 2018-23 के दौरान बहुत धीमी थी जिसमें केवल 3.77 प्रतिशत (292 ब्लॉकों में से 11) खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूर्ण हुई। संभावित संसाधनों वाले लघु खनिज ब्लॉक निष्क्रिय रहे**,** परिणामस्वरूप राजस्व अवरोधित हुआ।

जटिल खनन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित खनिज प्रशासन प्रणाली, झारखण्ड एकीकृत खान और खनिज प्रबंधन प्रणाली (जिम्स) की शुरूआत की गयी। तथापि महत्वपूर्ण अभिलेखों/सूचना/डेटा की अनुपलब्धता के कारण अभिलेखों का स्वचालन अपूर्ण पाया गया।

डीएमएफटी अंशदान सहित ₹ 7.53 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण, ₹ 2.23 करोड़ के नियत लगान का गैर/कम उद्ग्रहण इत्यादि के कारण राजस्व का रिसाव हुआ। पुनः अधिनियम, नियमावलियों और विभागीय निर्देशों के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के कारण पट्टेधारियों से ₹ 205.21 करोड़ के अर्थदण्ड की वसूली नहीं की गयी।

बालू घाटों का प्रबंधन

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम को 2017-22 के दौरान राज्य के अंदर 608 वाणिज्यिक बालू घाटों को परिचालित करने का शासनादेश था। जेएसएमडीसी ने 389 बालू घाटों को परिचालन करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन यह केवल 21 घाटों (यानि घाटों का 3.45 प्रतिशत) का परिचालन कर सका। इसके कारणों में, खनन योजनाओं को ससमय तैयारी सुनिश्चित नहीं करना और पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (सीआ) को प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में विलंब सम्मिलित था। गैर-परिचालित 368 घाटों के कारण, राज्य सरकार को इन घाटों (जिनका क्षेत्रफल 9,782.55 एकड़ था) से ₹ 70.92 करोड़ की संभावित हानि हुई। परिचालन दक्षता में कमी के कारण वांछित उत्पादन का केवल 28.53 से 31.50 प्रतिशत तक उत्पादन के कारण जेएसएमडीसी को 2018-22 के दौरान ₹ 32.30 लाख की वित्तीय हानि हुई थी।

खनन योजनाओं का अनुमोदन और कार्यान्वयन

अनुमोदित खनन योजनाओं में अविश्वसनीय सूचनाएं निहित थी जैसे कि त्रुटिपूर्ण सतह योजनाएँ, सीमा स्तंभों के त्रुटिपूर्ण भू-निर्देशांक, अतिच्छादित पट्टा क्षेत्र, खनन योग्य और गैर-खनन योग्य भंडार का त्रुटिपूर्ण अनुमान, भूजल स्तर का त्रुटिपूर्ण अनुमान शामिल था। अन्य जिलों में तैनात अधिकारियों द्वारा 54 प्रतिशत खनन योजनाओं को अनुमोदित किया गया था, जो नामित अधिकारी नहीं थे, जबकि नौ खनन योजनाओं को उसी दिन या प्रस्तुतीकरण के अगले दिन अनुमोदित किया गया था, जो यथोचित उद्यम की कमी को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पट्टे के गैर-खनन योग्य क्षेत्र में खनन एक सामान्य और व्यापक रूप से प्रचलन में था। अनुमेय सीमा की तुलना में अनुमानित अतिरिक्त उत्खनन किया गया था, जिस पर 13 पत्थर के पट्टों में अनुमानित 93.53 लाख घन मीटर पत्थर की खुदाई की गई थी, जो प्रतिवेदित नहीं की गई। इन 13 पट्टों में खनिज के अधिक उत्खनन का संभावित वित्तीय प्रभाव ₹ 292.75 करोड़ (93.53 लाख घन मीटर) अनुमानित था।

प्रस्तावित खनन योजनाओं के गतिविधियों से विचलन, खदानों में बेंचों का गैर-अस्तित्व तथा तीक्ष्ण पार्श्व दीवारें, कम वृक्षारोपण सहित सुरक्षा अवरोधों में कमी एवं गैर-खनन योग्य संसाधनों के उत्खनन के मामले सामने आए थे।

नमूना जाँचित जिलों में 2017-22 के दौरान खान एवं भूतत्व विभाग मौजूदा लघु खनिज पट्टों का केवल 0.68 से 3.17 प्रतिशत प्रशाखीय मापी कर सका और उनके पास उत्खनन के अनुश्रवण के लिए यूएवी जैसे आधुनिक उपकरणों की कमी थी जिसके कारण प्रगामी खान समापन योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं कर सका। नमूना जाँचित मामलों में अंतिम खान समापन योजनाएं प्रस्तुत नहीं की गई।

पट्टा क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर के अनुश्रवण के लिए वायु, जल, ध्वनि अनुश्रवण केंद्र स्थापित नहीं पाए गए। वित्तीय आश्वासन में गैर-संशोधन, वित्तीय आश्वासन के गैर-प्रस्तुतीकरण, व्यपगत बैंक गारंटियों और वित्तीय आश्वासन की गैर-जब्ती के कारण सुधार, और पुनरुद्धार के लिए पट्टेधारियों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय आश्वासन अपर्याप्त था।

पर्यावरणीय स्वीकृति

राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (सीआ), झारखण्ड पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु मुख्य रूप से खनन योजना पर निर्भर था। सीआ पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों को लागू करने में असमर्थ था और उपग्रह चित्रों तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन जैसी पद्धतियों के माध्यम से अनुश्रवण नहीं किया था।

विभागों के मध्य समुचित समन्वय के अभाव के कारण आवेदकों को आठ मामलों में जाली सन्निहित प्रमाण-पत्र पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम होने का अवसर मिला।

खनन गतिविधियों के कारण सामुदायिक परिसम्पत्तियां (जैसे सड़कें, तालाब, खेल के मैदान आदि) क्षतिग्रस्त हो गई थीं और नष्ट हुई परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण/ जीर्णोद्धार कार्य नहीं किया गया था। सड़क नेटवर्क पर खनन गतिविधियों के प्रभाव के विश्लेषण के अभाव में भारी खनन वाहनों के संचालन के कारण ₹ 39.74 करोड़ की 12 पीएमजीएसवाई सड़कें पूर्णतः/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं।

खनिजों का परिवहन

खान एवं भूतत्व विभाग ने 28 मार्च 2023 तक 72,449 वाहनों को पंजीकृत किया, लेकिन पाँच वर्ष के व्यतीत होने के बाद भी इनमें से कोई भी वाहन रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन/ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (आरएफआईडी/ जीपीएस) या किसी अन्य वाहन ट्रैकिंग प्रणाली से लैस नहीं था। विभाग वाहनों की अनधिकृत आवाजाही, अधिक भार का वहन, अपंजीकृत वाहनों पर परिवहन आदि का पता लगाने के लिए व्यापक प्रणालियों के अभाव में परमिट और चालान प्रणाली पर निर्भर रहा।

खनिजों के परिवहन हेतु विद्यमान प्रणाली खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने का आश्वासन प्रदान करने में असफल रही। लेखापरीक्षा ने स्टोन चिप्स के सात डीलरों के वेब्रिज प्रतिवेदनों के नमूना जाँच में पाया कि 85 प्रतिशत मामलों में जिम्स चालान उपलब्ध नहीं थे। 28 वाहनों के मामले में, 35 प्रारंभिक चालानों की

वैधता समाप्ति से पूर्व ही 50 अतिरिक्त चालान निर्गत किये गये। समाप्त हो चुके पट्टा क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों के अंतिम भंडार के अवैध परिवहन के अनुश्रवण/पता करने का कोई तंत्र विद्यमान नहीं था।

राँची **(इंदु अग्रवाल)**

दिनांक: 27 सितम्बर 2025 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक: 08 अक्टूबर 2025 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**